



कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005
(सूचना का अधिकार शाखा)

23.

दिनांक: 05.2019

फा. सं. V(Tech)RTI/34/2019/ 1936

सेवा में,

श्री ए. पी. बन्देरकर,
रेलवे मेन्स अपना घर, सी.एच.एस. लिमिटेड डी-ग्रुप,
ई-विंग, भूतल, सी-101, शिवाजी नगर, जोगेश्वरी(पूर्व),
मुंबई-400060

विषय: - सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही सूचना के क्रम में।

महोदय,

कृपया आपका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया आवेदन पत्र दिनांक 20.03.2019 जो कि संयुक्त आयुक्त/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, सीजीएसटी एवम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क(जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर द्वारा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, सीजीएसटी व उत्पाद शुल्क, जयपुर (कार्यालय में प्राप्त 07.05.2019) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत स्थानांतरित किया गया था का सन्दर्भ देखें।

उक्त पत्र में आपके द्वारा चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में लेख है कि सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर के अन्तर्गत Examiners का पद सृजित नहीं है। अतः इस विषय में जानकारी शून्य समझी जाये।

"यदि सूचना लेने वाले व्यक्ति को सूचना से असंतुष्टि है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, श्री बृज लाल मिना, संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नव राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 को इस निर्णय की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।"

भवदीय,

-sd-

संयुक्त आयुक्त(इन-सीटू)/के.लो.सू. अधिकारी,

प्रतिलिपि:-

1. The Web Master/Additional Commissioner, CGST Commissionerate, Jaipur for uploading on the Zonal Website.

संयुक्त आयुक्त(इन-सीटू)/के.लो.सू. अधिकारी,
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय
Central Goods & Services Tax Commissionerate
जयपुर/Jaipur